

लाभ :-

- अवलोकन को बढ़ावा ।
- अधिकारों का दुरुपयोग एवं अनियमितताओं पर नियंत्रण ।
- प्रशासन को संवेदनशील बनाता है ।
- समय और संसाधन की बचत
- यह शासन के विषय में लोगों को अधिक से अधिक जानने का अवसर देता है । इससे शासन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है । इनमें जागरूकता उत्पन्न होती है परिणामस्वरूप, शासन में जनता की भागीदारी बढ़ती है । इससे जन केन्द्रित शासन एवं सुशासन की स्थापना में मदद मिलती है ।

→ जन जागरूकता → जन केन्द्रित शासन

- जन सहभागिता → जन अशक्तिकरण

प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उपाय :-

- ई-गवर्नेंस
- सूचना का अधिकार
- Citizen charter

- लोक सेवा अधिनियम ।
- आचरण संहिता और आचार संहिता का पालन ।
- उपभोक्ता संरक्षण कानून
- * रॉफेल डील में गोपनीयता को ज़रूरत दी गई।

सूचना का अधिकार :-

सुशासन की स्थापना हेतु नागरिकों की सरकारी सूचनाओं तक पहुँच आवश्यक है। सूचना आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की अंगूठी है। सरकारी सूचना राष्ट्रीय संसाधन है। जिसका सरकार और लोक पदाधिकारी द्वारा वैधानिक और लोक-सेवाओं की प्रक्रियाओं के निर्वाह में प्रयोग किया जाता है। अतः सरकार और लोक पदाधिकारी इन सूचनाओं के केवल व्याप्तधारी हैं स्वामी नहीं हैं इसलिए नागरिकों को उनके द्वारा लिये जा रहे निर्णयों और कार्यों को जानने का अधिकार है कि -

- आखिर कौन कार्य क्यों किया गया ?
- इसकी लागत क्या थी।
- इसका परिणाम क्या हुआ ? आदि

इसी को ध्यान में रखते हुए 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम देश में लागू किया गया।

सूचना का अधिकार एक विधिवत अधिकार है जिसमें एक निश्चित समय सीमा में मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई जाती है।

संक्षेप में सूचना का अधिकार से आशय उस वैधानिक नागरिक अधिकार से है जो देश के नागरिकों को सरकारी क्रिया-कलापों और निर्णयों से संबंधित सूचनाएँ प्राप्त करने के अवसर और पहुँच को उपलब्ध करता है।

सूचना के अधिकार की आवश्यकता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के द्वारा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत विचार और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के विचार को स्वीकार किया गया है। सूचना के अधिकार को अभिव्यक्ति के अधिकार के अन्तर्गत माना गया है क्योंकि अभिव्यक्ति के लिए सूचनाओं का होना आवश्यक है।

→ वर्तमान में मानव विकास और मानव अधिकार के रूप में सूचना के अधिकार को देखा जा रहा है।

→ एक स्वरूप एवं जीवंत लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि उनके द्वारा चुनी गई सरकार क्या कर रही है।

- प्रशासन को दक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी और सर्वेदनशील बनाने के लिए यह आवश्यक है।
 - यह सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्ट-भ्रतीजावाद आदि को रोकने में सहायक है।
 - शासन की गुणवत्ता को बनाने में सहायक है।
- R.T.I में संशोधन :-

सूचना के अधिकार अधिनियम में २०१९ में संशोधन किया गया। जिसके अनुसार सूचना आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार केन्द्र सरकार को प्रदान कर दिया गया है। पहले यह प्रावधान कानून द्वारा संरक्षित थे इस कदम से आयोग की कार्य प्रणाली नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। आयोग की निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता प्रभावित हो सकती है।

सूचना के अधिकार का लाभ

सूचना के अधिकार की हानि:-

- कई लोग इसका दुरुपयोग कर स्वार्थ हित की पूर्ति और व्याक्तिगत दुश्मनी निकाल सकते हैं।
- प्रशासन में नियमों और प्रक्रियाओं के प्रति कठोरता बढ़ सकती है।
- लोक सेवकों में नवाचार और अंतरात्मा से अर्द्धा कार्य करने की प्रवृत्ति में कमी आ सकती है।
- प्रशासनिक तंत्र पर अतिरिक्त कार्य करने का भार बढ़ जाता है।
- जिम्मेदारी से भागने, कार्य में शिथिलता बरतने, निर्णय को इतरे पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है।
- महत्वपूर्ण कार्यों से ध्यान हटाकर मांगी गयी सूचना को उपलब्ध कराने में चल सकता है।
- लंबित मामलों की बड़ी संख्या रकू नयी चुनौती और समस्या पैदा कर रही है।

[नागरिक अधिकार - घोषणा पत्र]

- विभाग
- सेवा प्रदाता संगठन

नागरिक
उपभोक्ता
ग्राहक

- लिखित वचन बख्ताबों का समूह
- सेवाओं का विवरण,
- मानक
- निश्चित समय सीमा और शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख

- किसी विभाग या संगठन द्वारा जनहित में जारी लिखित प्रपत्र या दस्तावेज जिसमें प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विवरण एवं उससे संबंधित मानक।

- निश्चित समय सीमा।

- शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख होता है तो उसे नागरिक घोषणा पत्र कहा जाता है।

लाभ -

- शासन या संगठन को पारदर्शी, कार्यकुशल, संवेदनशील, जिम्मेदार और नागरिक मित्र बनाने में सहायक है।
- गुणवत्ता पूर्ण सेवा निष्पक्ष एवं प्रभावी रूप से प्रदान करने में सहायक है।
- शासन और संगठन के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को बदलने में सहायक है।
- प्रशासन और नागरिकों के बीच तैतू का निर्माण कर इस संबंध को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में सहायक।
- भ्रष्टाचार को दूर कर सुशासन की स्थापना में सहायक।

जन जागरूकता → जन सहभागिता → जन केन्द्रित शासन।

Citizen चार्टर बनाते वक्त क्या होना चाहिए ?

- स्थानीय भाषा में हो।
 - सरल भाषा में हो।
 - सेवाओं और मानकों का स्पष्ट उल्लेख हो।
 - शिकायत निवारण तंत्र प्रभावी हो।
- (सममानुहूल समाधान)

कार्य संस्कृति :-

किसी कार्यालय या संगठन में कार्य करने के तरीके परस्पर व्यवहार, आचरण का ढंग, वातावरण, लक्षित मूल्य, उद्देश्य एवं उसकी प्राप्ति के साधन और विभागों के समुच्चय को कार्य संस्कृति कहते हैं।

नकारात्मक कार्य संस्कृति की विशेषताएँ :-

- कार्य में उदासीनता या शिथिलता।
- कार्य को बौझ समझना, तालने की प्रवृत्ति।
- शिकायत, असंतोष और बकवाद करना।
- समय का कुप्रबंधन।
- नागरिकों के प्रति असंतोषजनकता।
- लाल फीताशाही।
- अपने बरिष्ठ अधिकारी और विभागीय मंत्री को खुश करने की प्रवृत्ति।

सकारात्मक कार्य संस्कृति :-

- कार्यालय में अनुशासन हीनता से निपटने के लिए खरित एवं प्रभावी कार्य प्रणाली होनी चाहिए।
- लक्ष्य एवं उसकी प्राप्ति के साधन तथा

कार्य पद्धति की स्पष्टता होनी चाहिए।

- विभाग या संगठन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य निष्पादन का सतत एवं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होना चाहिए।
- अच्छे कार्य करने वाले को प्रशंसा, पुरस्कार एवं प्रोन्नति तथा कार्य में शिथिलता बरतने वालों के लिए दण्ड, निंदा और अनुपय की व्यवस्था होनी चाहिए।

सकारात्मक कार्य संस्कृति के महत्वपूर्ण पक्ष :-

- टीम वर्क की भावना।
- नवाचार एवं सृजनात्मकता का सम्मान।
- स्वच्छता।
- परस्पर सहयोग का भाव
- त्वरित एवं प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली का प्रावधान।
- लक्ष्य प्राप्ति हेतु समय सीमा का निर्धारण।
- योजना एवं कार्य प्रणाली की स्पष्टता जैसे TQM, ISO आदि।

लोक निधि का उपयोग :-

- लोक निधि का अर्थ है 'सार्वजनिक उद्देश्यों के पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाने वाला धन'

- लोक निधि का सृजन संघ और राज्य सरकार के द्वारा बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण) के द्वारा किया जाता है।
- लोक निधि का उपयोग सरकार एवं उनकी एजेंसियों के द्वारा किया जाता है।
- लोक निधि का उपयोग राष्ट्र के विकास को सुनिश्चित करता है। मतः इसका उपयोग वंश तरीके से नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से होना ।

कैसे उपयोग :-

- लक्षित उद्देश्य के प्रति हेतु
- निर्दिष्ट क्षेत्र में
- निर्दिष्ट लोगों या वर्ग के लिए ।

क्या होना चाहिए ?

- पारदर्शिता
- वस्तुनिष्ठता
- प्रभावशीलता
- कुशल प्रबंधन
- वित्तीय जवाबदेहिता

ताकि अनियमितताओं को रोका जा सके ।

- केवल प्रक्रिया पर ध्यान देने के बजाय परिणाम पर भी ध्यान देना चाहिए ।

संसदीय समितियाँ

- लोक प्रशासन पर संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण ।
- सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने का विधायी प्रयास ।

- लोक लेखा समिति
- आकलन / प्रकलन समिति
- लोक उपक्रमों पर समिति ।

- सांसद-निधि के तहत प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये दिये जाते हैं।
- अपने निवर्चन क्षेत्र में सांसद के सिफारिश पर विकासत्मक कार्यों पर खर्च किया जाता है।

उभरने वाले आक्षेप :-

चुनावी लाभ हेतु कई बार मनमाने तरीके से बड़े और चुनावों में लगे कार्यकर्ताओं को उपहृष्ट करने के लिए ।

- कम से कम आधा भाग ग्रामीण क्षेत्रों के नव युवकों के कौशल विकास पर खर्च हो।
- ## हियों का तकरार :-

- हियों का संबंध एक ऐसी स्थिति है कि जब व्यावृत्ति या संगठन के समक्ष

अनेक हित उपास्थित रहते हैं और उनमें से किसी भी हित को वरीयता देने पर अन्य हितों पर प्रहार होता है।

सार्वजनिक क्षेत्र में हित संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब व्याक्तिगत हित पदीय हित, कर्तव्य और सार्वजनिक हित में से किसी एक को दूसरे के ऊपर प्राथमिकता दी जाती है।

सुशासन :-

सुशासन एक कुशल प्रभावी, पारदर्शिता, जवाबदेहिता और जन केन्द्रित शासन को इंगित करता है। जो जनोन्मुख, कल्याण उन्मुख, परिणाम उन्मुख, विकास उन्मुख होना चाहिए।

सुशासन में विधि के शासन के साथ-साथ जनआह्वानिता, मानवाधिकारों का सम्मान, नागरिक सेवा की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति, जवाबदेहिता, निष्पक्षता, राजनीतिक तटस्थता, वस्तुनिष्ठता, सूचना का अधिकार, ई गवर्नेंस इत्यादि तत्व सम्मिलित होते हैं।